I/166788/2023

संख्याः E 166788 / 64309/ FCD/FFCG/15/2023

प्रेषक,

सी. रवि शंकर,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज विभाग,
डांडा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 06 नवम्बर, 2023

विषयः– **15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में त्रिस्तरीय पंचायतों को अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं–F.8(1)/FCD/2023, दिनांकः 27.10.2023 द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में अनाबद्ध अनुदान **(Untied Grant)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की प्रथम किश्त **₹88,75,22,000.00 (₹अट्ठासी करोड़ पचहत्तर लाख बाईस हजार मात्र)** की धनराशि दिनांकः 27.10.2023 को अवमुक्त की गई है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में अनाबद्ध अनुदान **(Untied Grant)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की प्रथम किश्त **₹88,75,22,000.00 (₹अट्ठासी करोड़ पचहत्तर लाख बाईस हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न विवरणानुसार त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को अंतरित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– अनाबद्ध अनुदान ;न्दजपमक ळतंदजद्ध के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की प्रथम किश्त हेतु प्राप्त धनराशि त्रिस्तरीय पंचायतों को निम्नवत अंतरित की जा रही है :–

क्र.सं.	पंचायतीराज संस्था का नाम	अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की प्रथम किश्त हेतु अन्तरित धनराशि का विवरण (₹हजार में)
1–	जिला पंचायतें	133500
2–	क्षेत्र पंचायत	88063
3–	ग्राम पंचायतें	665959
योग		**887522**

4– उपर्युक्त धनराशि त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही है:–

1- वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/xxvii(6)/430 / एक / 2008/ 2019 दिनांकः 29 मार्च, 2019 द्वारा समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) लागू है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार (1) जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में निदेशक पंचायतीराज द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से बिल तैयार कर संलग्न विवरणानुसार सम्बन्धित पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। (2) ग्राम पंचायतों को अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा धनराशि संलग्न विवरणानुसार तत्काल सम्बन्धित जिला पंचायतीराज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी। तदोपरान्त जिला पंचायतीराज अधिकारियों द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। उपरोक्त की सूचना वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 06/11/2023 11:48 AM

I/166788/2023

करायी जायेगी। निदेशक, पंचायतीराज व जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा धनराशि अपने स्तर पर नहीं रोकी जायेगी।

2- शासनादेश संख्याः 381/06(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/2020, दिनांकः 26.05.2020 एवं तद्क्रम मे शासनादेश संख्याः–266/(वि0आ0निदे0)/XXVII(1)/2022 दिनांक 02 मई, 2022 में वार्णित व्यवस्था के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं हेतु निर्धारित बैण्ड के अनुसार अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

3- वित्त मंत्रालय के शासनादेश दिनांक 27.10.2023 के अनुसार राज्य सरकार (राज्य वित्त विभाग) को ग्रान्ट इन एड की धनराशि सीधे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को बिना किसी कटौती के 10 कार्य दिवसों के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर देनी चाहिए। दस कार्य दिवसों के बाद किसी भी विलम्ब के लिये औसत ब्याज, बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण की पूर्व वर्ष की प्रभावी ब्याज दरों के साथ अनुदान की धनराशि का भुगतान निकायों को किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायतराज का होगा।

4- ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 40 प्रतिशत अनिर्दिष्ट/अनाबद्ध है, जिसका उपयोग उनके द्वारा वेतन एवं अन्य अवस्थापना व्यय को छोड़कर विशिष्ट आवश्यकताओं के अन्तर्गत ग्यारहवीं अनुसूची में उनतीस विषयों के तहत आने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए किया जायेगा तथापि बाह्य एजेंसियों द्वारा लेखाओं के लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक व्यय, जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, को इस अनुदान से खर्च किया जा सकता है।

5- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग 15वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय–7 "स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण" एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश तथा शासनादेश दिनांकः 27.10.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि निदेशक, पंचायतीराज, देहरादून के पत्र संख्याः 1767/लेखा/पं0–2/15वॉं वि.आयोग/2023–24, दिनांकः 17.10.2023 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की उपलब्ध करायी गई अद्यतन स्थिति/ विवरण के आधार पर अवमुक्त की जा रही है।

7- पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्ष के अनंतिम वार्षिक लेखाओं को अगले वर्ष के 15 मई तक ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। वर्ष 2023–24 से आगे, राज्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए देय अनुदान तभी प्राप्त करेंगें, जब ग्रामीण स्थानीय निकायों कि पास पिछले वर्ष के अनंतिम लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा होंगे और इन्हें उन्होंनें ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य के 35 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास वर्ष 2022–23 के लिए अनन्तिम लेखा है और वर्ष 2021–22 के लिए लेखापरीक्षित लेखा है और इन दोनों को 2023–2024 में ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, तब 2023–24 में राज्य 35 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु कुल देय राशि प्राप्त करेंगें।

8- निदेशक, पंचायतीराज से प्राप्त पत्र संख्याः 193/3–पं./ग्रा.पं./173/2020–21 दिनांकः 28 मई, 2020 के अनुसार उत्तराखण्ड में परिसीमन/ग्राम पंचायतों के शहरी स्थानीय निकायों में संविलियन तथा कतिपय शहरी स्थानीय निकायों में सम्मलित ग्राम पंचायतों का पुनः ग्राम पंचायतों के रूप में परिवर्तित होने के उपरान्त वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की स्थिति में अन्तर आया है। इस बदले हुए जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार ही धनराशि अवमुक्त की जा रही है, जिसके कारण जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अंश एवं अवमुक्त की जा रही धनराशि में आंशिक वृद्धि अथवा कमी सम्भव है।

9- जिला पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर व क्षेत्र पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रमुख, क्षेत्र पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निदेशक पंचायतीराज को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ग्राम पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निदेशक, पंचायतीराज से प्रतिहस्ताक्षरित कराये जायेंगे। निदेशक, पंचायतीराज द्वारा तीनों स्तरों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का अपने स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त उनको प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 06/11/2023 11:48 AM

I/166788/2023

प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (वित्तीय व भौतिक प्रगति) भी संलग्न करना आवश्यक होगा। संक्रमित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31 दिसम्बर, 2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। तदोपरान्त ही अगली किश्त की धनराशि संक्रमित की जायेगी।

10- निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश स्तरीय शर्तें पूर्ण नहीं करने तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यदि धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये निदेशक, पंचायतीराज, अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। अवमुक्त धनराशि के समुचित उपयोग के लिए निदेशालय स्तर पर निदेशक, पंचायतीराज तथा जिला स्तर पर विभागीय अपर मुख्य अधिकारी/ जिला पंचायतीराज अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली–2017 (संशोधित) में निहित प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

12- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

13- जिला पंचायतों हेतु जिला पंचायतवार, क्षेत्र पंचायतों हेतु क्षेत्र पंचायतवार एवं ग्राम पंचायतों हेतु क्षेत्र पंचायतवार व ग्राम पंचायतवार फांटें, अलाटमैंट आई.डी एवं अनुदान हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र का प्रारूप– III संलग्न है। ई–मेल से भी शासनादेश उपलब्ध कराया जा रहा है। निकायों को धनराशि हस्तान्तरित करते ही प्रारूप–III पर वांछित सूचना विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीरात के हस्ताक्षर से वित्त विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

14- वित्त मंत्रालय भारत सरकार से अद्यतन संगठित त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु धनराशि प्राप्त हुई है तद्क्रम में पंचायतीराज निदेशालय से प्राप्त विवरणानुसार ही त्रिस्तरीय पंचायतों को धनराशि अवमुक्त नही की जा रही है।

15- यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई नगर पंचायत/नगर पालिका का गठन हो गया हो अथवा किसी नगर पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत में परिवर्तित कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत अथवा अन्य नगर निकायों को (जैसी भी स्थिति हो) अवमुक्त धनराशि का हस्तान्तरण शासन के पत्र सं0– 822/XXVII(1)/2014 दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं0–1344/XXVII (1) / 2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित निकाय को किया जायेगा, जिसकी सूचना सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

16- 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर "15वॉं वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य" निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत इंगित की जायेगी।

17- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–7 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

(धनराशि हजार ₜ esa½

क्र. सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक	संक्रमित धनराशि
1	*2*	*3*	*4*
1–	**जिला पंचायतें**	**3604**–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– 00–200– अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–07–जिला पंचायतों को केन्द्रीय	**133500**

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 06/11/2023 11:48 AM

I/166788/2023

		वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान (100 प्रतिशत के०पो०) –56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।	
2–	क्षेत्र पंचायतें	**3604**–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– 00–200– अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन– 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–09– क्षेत्र पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान (100 प्रतिशत के०पो०)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।	**88063**
3–	ग्राम पंचायतें	**3604**–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– 00–200– अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन– 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–11–ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान (100 प्रतिशत के०पो०)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।	**665959**
योग			**887522**

(₹अट्ठासी करोड़ पचहत्तर लाख बाईस हजार मात्र)

<u>संलग्नकः</u>– यथोपरि।

भवदीय,

Signed by C Ravi Shankar
Date: 03-11-2023 18:24:26
(सी.रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः E 166788 / 64309/ FCD/FFCG/15/2023,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
4- निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, ब्लाक 11,पंचम तल सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
5- निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6- निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23– लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी–उत्तराखण्ड।
9- समस्त अपर मुख्य अधिकारी/जिला पंचायतीराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
11- निजी सचिव, मा० पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड।
12- एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

(सी.रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

4

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 06/11/2023 11:48 AM

I/166787/2023

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनाबद्ध अनुदान **(Untied Grant)** की प्रथम किश्त हेतु अन्तरित धनराशि का विवरण।

(धनराशि हजार ₹)

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनाबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*
1	अल्मोड़ा	10949
2	बागेश्वर	6513
3	चमोली	10812
4	चम्पावत	4714
5	देहरादून	10847
6	हरिद्वार	20163
7	नैनीताल	7330
8	पौड़ी गढ़वाल	12036
9	पिथौरागढ़	9776
10	रूद्रप्रयाग	5471
11	टिहरी गढ़वाल	11262
12	उधमसिंह नगर	16555
13	उत्तरकाशी	7072
	योग	**133500**

(₹ तेरह करोड़ पैंतीस लाख मात्र)

Signed by C Ravi Shankar
Date: 03-11-2023 18:24:03

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

1
Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/11/2023 02:08 PM

I/166789/2023

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) की प्रथम किश्त हेतु अन्तरित धनराशि का विवरण।

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनाबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*	*4*
1–अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	831
	2	ताकुला	735
	3	धौलादेवी	1017
	4	भैंसियाछाना	560
	5	हवलबाग	1003
	6	लमगड़ा	893
	7	द्वाराहाट	954
	8	सल्ट	863
	9	भिकियासैण	513
	10	ताड़ीखेत	874
	11	चौखुटियाँ	748
		योगः–	**8991**
2–बागेश्वर	1	कपकोट	1526
	2	गरूड़	1028
	3	बागेश्वर	1343
		योगः–	**3897**
3–चमोली	1	कर्णप्रयाग	825
	2	जोशीमठ	2123
	3	दशोली	787
	4	घाट	798
	5	पोखरी	714
	6	गैरसैण	1002
	7	थराली	663
	8	देवाल	651
	9	नारायणबगड़	732
		योगः–	**8295**
4–चम्पावत	1	लोहाघाट	627
	2	बाराकोट	585
	3	पाटी	901
	4	चम्पावत	1262
		योगः–	**3375**
5–देहरादून	1	डोईवाला	1111
	2	रायपुर	332
	3	सहसपुर	1290
	4	विकासनगर	1597
	5	चकराता	833
	6	कालसी	727
		योगः–	**5890**

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/11/2023 02:07 PM

I/166789/2023

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनाबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*	*4*
6–हरिद्वार	1	भगवानपुर	2050
	2	खानपुर	574
	3	रूड़की	1622
	4	नारसन	2030
	5	लक्सर	1672
	6	बहादराबाद	3037
		योग:–	**10985**
7–नैनीताल	1	ओखलकाण्ड़ा	658
	2	भीमताल	499
	3	बेतालघाट	466
	4	हल्द्वानी	980
	5	रामनगर	921
	6	रामगढ़	577
	7	कोटाबाग	681
	8	धारी	356
		योग:–	**5138**
8–पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	743
	2	द्वारीखाल	550
	3	दुगड्डा	341
	4	एकेश्वर	414
	5	जयहरीखाल	388
	6	कल्जीखाल	534
	7	खिर्सू	504
	8	कोट	594
	9	नैनीडांडा	605
	10	रिखणीखाल	541
	11	थलीसैण	878
	12	यमकेश्वर	703
	13	पौड़ी	573
	14	पाबो	646
	15	पोखड़ा	522
		योग:–	**8536**
9–पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	1161
	2	मुनाकोट	962
	3	कनालीछीना	946
	4	धारचूला	1048
	5	पिथौरागढ़	1023
	6	डीडीहाट	827
	7	मुनस्यारी	1108
	8	बेरीनाग	899
		योग:–	**7974**
10–रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	1452
	2	जखोली	1132
	3	ऊखीमठ	861
		योग:–	**3445**
11–टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	695

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/11/2023 02:07 PM

I/166789/2023

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनाबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*	*4*
	2	कीर्तिनगर	787
	3	चम्बा	678
	4	देवप्रयाग	710
	5	भिलंगना	1301
	6	थौलधार	738
	7	जौनपुर	958
	8	प्रतापनगर	863
	9	जाखणीधार	769
		योगः–	**7499**
12–ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	1720
	2	सितारगंज	1767
	3	रूद्रपुर	1072
	4	गदरपुर	1295
	5	बाजपुर	1361
	6	काशीपुर	829
	7	जसपुर	1236
		योगः–	**9280**
13–उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	901
	2	डुण्डा	862
	3	चिन्यालीसौड़	703
	4	नौगाँव	986
	5	पुरोला	530
	6	मोरी	776
			4758
		योगः–	**88063**

(₹आठ करोड़ अस्सी लाख तिरेसठ हजार मात्र)

Signed by C Ravi Shankar
Date: 03-11-2023 18:24:51
(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/11/2023 02:07 PM

I/166790/2023

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनाबद्ध (**Untied Grant**) अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरित धनराशि का क्षेत्र पंचायतवार विवरण।

(₹हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनाबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*	*5*
1–अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	6753
	2	ताकुला	6182
	3	धौलादेवी	8335
	4	भैंसियाछाना	3743
	5	हवलबाग	9096
	6	लमगड़ा	7485
	7	द्वाराहाट	8504
	8	सल्ट	8022
	9	भिक्यिासैण	5317
	10	ताड़ीखेत	7745
	11	चौखुटियाँ	6546
		योगः–	**77728**
2–बागेश्वर	1	कपकोट	11373
	2	गरूड़	8503
	3	बागेश्वर	14057
		योगः–	**33933**
3–चमोली	1	कर्णप्रयाग	7157
	2	जोशीमठ	5730
	3	दशोली	5285
	4	घाट	5103
	5	पोखरी	5484
	6	गैरसैण	7997
	7	थराली	4023
	8	देवाल	3624
	9	नारायणबगड़	6000
		योग–	**50403**
4–चम्पावत	1	लोहाघाट	4523
	2	बाराकोट	3619
	3	पाटी	6682
	4	चम्पावत	9257
		योग–	**24081**
5–देहरादून	1	डोईवाला	7477
	2	रायपुर	2326
	3	सहसपुर	8540
	4	विकासनगर	10359

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/11/2023 02:05 PM

I/166790/2023

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनाबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*	*5*
	5	चकराता	7049
	6	कालसी	6490
		योग–	**42241**
6–हरिद्वार	1	भगवानपुर	13739
	2	खानपुर	3835
	3	रूड़की	11113
	4	नारसन	13771
	5	लक्सर	10538
	6	बहादराबाद	20399
		योग–	**73395**
7–नैनीताल	1	ओखलकाण्डा	4967
	2	भीमताल	3906
	3	बेतालघाट	3808
	4	हल्द्वानी	6769
	5	रामनगर	6165
	6	रामगढ़	4101
	7	कोटाबाग	4877
	8	धारी	2663
		योग–	**37256**
8–पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	6454
	2	द्वारीखाल	4847
	3	दुग्गड्डा	3133
	4	एकेश्वर	4331
	5	जयहरीखाल	3508
	6	कल्जीखाल	4877
	7	खिर्सू	3409
	8	कोट	4731
	9	नैनीडांडा	5150
	10	रिखणीखाल	4615
	11	थलीसैण	7216
	12	यमकेश्वर	5556
	13	पौड़ी	4249
	14	पाबो	4904
	15	पोखड़ा	3919
		योग–	**70899**
9–पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	9853
	2	मुनाकोट	6942
	3	कनालीछीना	7575
	4	धारचूला	7034
	5	पिथौरागढ़ (विण)	7735
	6	डीडीहाट	5933

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/11/2023 02:05 PM

I/166790/2023

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनाबद्ध अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अन्तरण
1	*2*	*3*	*5*
	7	मुनस्यारी	8835
	8	बेरीनाग	6814
		योग–	**60721**
10–रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	13480
	2	जखोली	9345
	3	ऊखीमठ	6047
		योग–	**28872**
11–टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	5898
	2	कीर्तिनगर	6815
	3	चम्बा	6013
	4	देवप्रयाग	5987
	5	भिलंगना	12926
	6	थौलधार	6261
	7	जौनपुर	8515
	8	प्रतापनगर	7266
	9	जाखणीधार	6572
		योग–	**66253**
12–ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	11237
	2	सितारगंज	11754
	3	रूद्रपुर	7071
	4	गदरपुर	8792
	5	बाजपुर	9171
	6	काशीपुर	5602
	7	जसपुर	8399
		योग–	**62026**
13–उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	7101
	2	डुण्डा	7332
	3	चिन्यालीसैण	5721
	4	नौगाँव	9179
	5	पुरोला	3238
	6	मोरी	5580
		योग–	**38151**
		महायोग :–	**665959**

(₹छियासठ करोड़ उनसठ लाख उनसठ हजार मात्र)

Signed by C Ravi Shankar
Date: 03-11-2023 18:25:16

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/11/2023 02:05 PM